जून और जुलाई में मिलेगा संपत्तिकर में 5% की छूट का फायदा, आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने ली टैक्स वसूली की बैठक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के टैक्स वसूली की जानकारी के लिए निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने शुक्रवार को निगम सभागार में बैठक ली! उन्होंने संपत्तिकर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, सेवा शुल्क एवं जल कर की वसूली के साथ ही विभिन्न माध्यमों से होने वाले आय के बारे में जानकारी प्राप्त की! बैठक में उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें उपस्थित रहे! स्पैरो सॉ. प्रा. लि. के कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 मे मांग के अनुरूप हुई वसूली के बारे में अवगत कराया! आयुक्त ने डोर टू डोर वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिए! लॉकडाउन के दौरान 596 लोगों ने अपना संपत्तिकर ऑनलाइन जमा किया है! संपत्तिकर में 5% की छूट इस वर्ष के संपत्तिकर दाता को निगम भिलाई द्वारा माह जून एवं जुलाई में संपत्ति कर में 5% की छूट प्रदान की जा रही है, इससे पूर्व अप्रैल एवं मई महीने में 6.25% की छूट प्रदान की गई थी! मांग के अनुरूप वसूली की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बकायेदारों एवं मांग के अनुरूप टैक्स वसूली की समीक्षा की गई! आयुक्त श्री रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में पिछले वित्तीय वर्ष का टैक्स वसूली अधिभार सहित 102.84% हो चुका है! बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल ने बकाया राशि में से 10 लाख राशि की जमा स्पैरो सॉ. लि. के अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसआर अपोलो के द्वारा बकाया राशि में से 15 जून को 10 लाख की राशि जमा की गई है और शेष राशि लगभग 17 लाख के लिए मोहलत मांगी है! गौरतलब है कि बीएसआर अपोलो अस्पताल जूनवानी रोड भिलाई को कुर्की का वारंट जारी किया गया था तब 28 मई को अस्पताल प्रबंधन द्वारा 10 लाख की राशि जमा की गई थी और 15 जून की मोहलत मांगी थी इस तिथि को ही 10 लाख की राशि और जमा की गई है परंतु अभी भी लगभग 17 लाख रुपए बकाया है, यदि जल्द ही राशि नहीं जमा की जाती है तो निगम सख्त कार्रवाई करेगी!